

(b) Review by Government on the working of the above Institute. [Placed in Library. See No. L.T. 4482/01]

III. The Approach Paper to Tenth Five Year Plan (2002-2007). placed in Library. See No. L.T. 4483/01]

**Notification of the Ministry of Labour**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI MUNI LALL) : I lay on the Table under the Delegated Legislation Provisions (Amendment) Act, 1983, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Labour Notification S.O. No. 746 dated 22<sup>nd</sup> March, 2001 regarding the coverage of establishments under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, together with delay statement. [Placed in Library. See No. L.T. 4473/01]

**Annual Report (1907-96 and 1999-99) of Food Corporation of India**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से 1997-98 और 1998-99 के वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक प्रतिवेदन को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 4463/01]

**Report and Accounts (1999-2000) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi and related papers**

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकन्दर): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

I. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 24 की उपधारा (3) और धारा 23 की उपधारा(4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(क) 1999-2000 के वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) 1999-2000 के वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश।

II. ऊपर (I) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [Placed in Library. See No. L.T. 4492/01]